9/2008 ब्रजमोहन – हरदयाल

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16-2-18	पत्रावली पेश। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत O 22 R-4 CPC पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश आवेदन पत्रावली दिनांक 21-2-18 को पेश की जावे।	
21-2-18	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 5-3-18 को पेश हो।	
5-3-18	पत्रावली पेश। आदेश नहीं लिखवाया जा सका वास्ते आदेश दि० 14-3-18 को पेश हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.3.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम -4 सीपीसी हेतु पेश:-

प्रार्थी/अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 हरदयालसिंह का देहान्त दिनांक 30-1-15 को तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-4 भागीरथ का देहान्त दिनांक 7-7-12 को हो गया । प्रार्थी/अपीलान्ट लकवा की बीमारी से बीमार होने के कारण कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं किया जा सकता विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 4 के कायम मुकाम बनाये जाने में हुये विलम्ब को माफ किया जाकर इनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 4 एक ही गांव के है तथा एक ही गांव में रहते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

थे । इस कारण अपीलान्ट को इनकी मृत्यु की जानकारी मरने के दिन से ही थी। अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानबूझ कर विलम्ब से पेश किया है जिससे अपीलान्ट की अपील अबैट हो चूकी है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम-9 सीपीसी एवं समन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया साथ ही अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दफा-5 में भी कोई सन्तोषप्रद तथ्य दर्ज नहीं किये हैं ।इस कारण अपीलांट की अपील कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय सीमा में पेश नहीं करने से खारिज हो गई गया तथा अपीलांन्ट की सम्पूर्ण अपील अबैट हो चुकी जैसा एआईआर (कलकता) 1970 पेज 99 एवं ए0आई0आर 1963 (एस0सी0) पेज 553 पेश कर अपील अबैट करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समहात की गई । प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 4 एक ही गांव के रहने वाले हैं यह स्वीकृत तथ्य है ।तथा यह भी स्वीकृत है कि इनका देहान्त ग्राम शिवाना में ही हुआ है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपीलांन्ट को रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 4 के देहान्त की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही रही है । इसके बाद भी अपीलांट कायम मुकाम प्रार्थनापत्र असाधारण विलम्ब से पेश किया जिसमें आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी उपसमन निरस्त करने का पेश नहीं किया तथा ना ही दफा-5 प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज किया है ।जिससे अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम-4 सीपीसी एवं दफा-5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जावे । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील अबैट होने बाबत जो नजीर पेश ए0आई0आर0 1963 (एस0सी0) पेज-553 एवं ए0आई0आर0 1970 पेज 99 पेश की है जिसमें अपील को पार्टली अबैट न मानकर अपील को सम्पूर्ण अबैट होना माना है ।अर्थात अपीलांट अपने कृत्यों के प्रति लापरवाह रहा है।अतः अपीलांट

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 14/3/18 (भंवरलाल सिहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	